उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय, रामगढ़

आदेश पत्रक

परमिशन वाद संख्या – .03/2018

लालजी मांझी वगैरह बनाम् ओ0एन0जी0सी0

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख

27/06/2018

आवेदक (1) लालजी मांझी, पिता– स्व0 राजो मांझी, (2) रामचन्द्र मांझी, पिता– स्व0 पलटू मांझी, (3) चुनूराम मांझी पिता– स्व0 पलटू मांझी, (4) पन्नालाल मुर्मु, पिता– स्व0 रामचन्द्र मांझी उर्फ रामू मांझी, (5) हीरालाल मांझी, पिता– स्व0 रामू मांझी, (6) रामजी मांझी, पिता– स्व0 मुंशी मांझी, (7) गंगाराम मुर्मू पिता– राम चन्द्र मांझी (8) गणेश मांझी पिता करना मांझी, (9) महादेव मांझी पिता बैजनाथ मांझी, (10) बालदेव मुर्मू पिता सीताराम मांझी सभी का साकिन– ग्राम– कुजू, टोला– बंदराचुंवा, पो0– कुजू, थाना–माण्डू, जिला रामगढ़ (झारखण्ड) द्वारा छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 49 के अन्तर्गत ओ0एन0ज़ी0सी0, सी0बी0एम0 परिसंपति बोकरो (प्रथम तला, एच0एस0सी0एल0 भवन नया मोड़ बोकरो) को ओ0एन0जी0सी0, सी0बी0एम0 गैस निकालने हेतु पट्टे में देनें की अनुमति हेतु आवेदन दायर किया गया है। भूमि की विवरणी निम्नवत है :–

मौजा	थाना थाना नं0	खाता नं0	प्लॉट नं0	कुल रकवा (डीसमील में)	अनुमति हेतु प्रस्तावित रकवा (डीसमील में)
कुजू	माण्डू 154	11	178	27	27
			179	30	30
			180	07	07
			181	21	21
			182	24	24
			184	39	34
			185	32	32
			74	101	28
			75	34	34
			91	33	33
			92	06	06
			93	41	16
			98	56	28
			100	60	10
			224/2841	63	63
			63	121	36
			144	18	06
			145	20	06
			65	33	20
			168	03	03
			169	03	03
			171	20	04
			172	04	02
			173	20	05
			252	242	30
		12	163	51	12
			146	160	50
			224	168	50
	कुल रकवा			1437 (चौदह एकड़ सैत्तीस डी0)	620 (छः एकड़ बीस डी0)

27/6/18

आवेदकगण द्वारा दोनो खातों में कुल जमा रकवा 14.37 एकड़ मध्ये रकवा 6.20 एकड़ भूमि की अनुमति हेतु दायर आवेदन के आलोक में वाद अंगीकृत करते हुए उभय पक्षों को सूचना निर्गत कर, संबंधित अंचल कार्यालय, माण्डू से जाँच प्रतिवेदन की मांग की गई।

अंचल कार्यालय, माण्डू के पत्रांक 615 दिनांक 04.06.2018 द्वारा जाँच प्रतिवेदन प्राप्त। उभय पक्ष लगातार अनुपस्थित चले आ रहें हैं। अंलच अधिकारी, माण्डू द्वारा समर्पित प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया गया है कि प्रश्नगत भूमि मौजा कुजू, खाता नं0– 11 कान्दो मांझी वगै0 एवं खाता नं0– 12 कान्हु मांझी वल्द फागु मांझी के नाम से खतियान में दर्ज है। परमिशन हेतु दायर आवेदन में उल्लेखित उपरोक्त भूमि सी0सी0एल0 कुजू ऐरिया (रामगढ़) के अधिग्रहीत भूमि के अन्दर पड़ता है।

आवेदकगण से प्राप्त आवेदन, संलग्नक कागजातों एवं अंचल अधिकारी, माण्डू से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन के अवलोकन से स्पष्ट है कि खतियानी रैयत एवं जमाबन्दी रैयत के वंशजों के बीच आपसी बंटवारा नहीं हुआ है और न ही बंटवारा से संबंधित कोई कागजात आवेदकगण के द्वारा दाखिल किया गया है, जिससे यह स्पष्ट नहीं होता है कि अनुमति हेतु प्रश्नगत भूमि आवेदगण के हिस्से की भूमि है। साथ अनुमति हेतु आवेदन में उल्लेखित प्रश्नगत् भूमि सी0सी0एल0 कुजू ऐरिया (रामगढ़) के अधिग्रहीत भूमि के अन्दर पड़ता है।

अतः उक्त परिपेक्ष्य में छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 49 अन्तर्गत अनुमति हेतु प्राप्त आवेदन पोषणीय नहीं है। आवेदकगण द्वारा अनुममि हेतु दायर आवेदन **अस्वीकृत** किया जाता है। इसी मंतव्य के साथ वाद की कार्रवाई बन्द की जाती है। अभिलेख अभिलेखागार में जमा करें।

लेखापित एवं संशाधित

27/6/18

उपायुक्त,
रामगढ़।

27/6/18

उपायुक्त,
रामगढ़।